उत्तरांचल शासन
राज्य पुनर्गठन विभाग
संख्या: 309/रा0पु0/वि0का0अ0/4/2003
देहरादून, दिनांक 09 अक्टूबर, 2003

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन

आप अवगत है कि उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम-2000 के अन्तर्गत उ0प्र0 एवं उत्तरांचल के मध्य कार्मिकों के विभाजन की कार्यवाही हेतु राज्य परामर्शीय समिति गठित है जिसकी संस्तुति/अनुशंसा/परामर्श पर भारत सरकार द्वारा अन्तिम आवंटन की कार्यवाही की जानी है। जिसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन अपने सामान्य आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2001 के माध्यम से कर दिया गया है।

राज्य पुनर्गठन विभाग के संज्ञान में आया है कि पर्वतीय उपसंवर्ग के अन्तिम रूप से उत्तरांचल आवंटित कार्मिकों को हार्डशिप केसेज के अन्तर्गत उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त किये जाने हेतु राज्य परामर्शीय समिति को सदर्भ भेजे जा रहे है एवं कुछ प्रकरणों में सदस्य राज्य परामर्शीय समिति को भेजे गये सदर्भों के आधार पर राज्य परामर्शीय समिति की सहमति मानते हुए उ0प्र0 हेतु अवमुक्त किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि चूंकि पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों का अन्तिम आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जा चुका है अतः इन सदर्भों के कार्मिकों के प्रकरणों को राज्य परामर्शीय समिति को सदर्भित किये जाने का औचित्य नहीं है। ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के उत्तर प्रदेश के लिए सेवा स्थानान्तरण (Transfer of Services) के लिए सक्षम स्तर पर उच्चादेश प्राप्त करके उ0प्र0 शासन को सहमति हेतु सदर्भित करेंगे एवं उ0प्र0 शासन की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया पर्वतीय उपसंवर्ग के कार्मिकों के सम्बन्ध में उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव